



Ref.No.NB.DoS.CMA./ 2329 /A.75/2022-23

Circular No. 199 /DoS -24 /2022

05 September 2022

The Managing Director / General Manager

All State Cooperative Banks & District Central Cooperative Banks

Dear Sir/Madam,

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वैयक्तिक आवास ऋण की सीमा में वृद्धि - स्पष्टीकरण
Enhancement of Individual Housing Loan Limit by RBI - Clarification

आवास की बढ़ती हुई कीमतों और ग्राहकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 08 जून 2022 के अपने परिपत्र संख्या 43 के माध्यम से ग्रामीण सहकारी बैंकों द्वारा एक व्यक्ति को मंजूर किए जाने वाले आवासीय ऋणों की सीमा में निम्नानुसार वृद्धि की है:

In view of increase in housing prices and after factoring in customer needs, RBI vide its circular no 43 dated 08 June 2022 enhanced the limits on residential housing loans sanctioned by Rural Co-operative Banks to an individual as under:

बैंक की श्रेणी Category of the bank	मौजूदा सीमा (प्रत्येक वैयक्तिक उधारकर्ता) Existing Limit (per individual borrower)	संशोधित सीमा (प्रत्येक वैयक्तिक उधारकर्ता) Revised Limit (per individual borrower)
(क) राज्य सहकारी/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक जिनकी निवल आकलित संपत्ति 100 करोड़ रुपये से कम है.	रु. 20 लाख	रु. 50 लाख
(a) StCBs/DCCBs having assessed net worth less than Rs. 100 crore	Rs. 20 lakh	Rs. 50 lakh

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

पर्यवेक्षण विभाग

प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 6812 0039 • फ़ैक्स: +91 22 2653 0103 • ई मेल: dos@nabard.org

गाँव बढ़े >> तो देश बढ़े

www.nabard.org

Taking Rural India >> Forward

(ख) राज्य सहकारी/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक जिनकी निवल आकलित संपत्ति 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक है.	रु. 30 लाख	रु. 75 लाख
(b) StCBs/DCCBs having assessed net worth equal to or more than Rs. 100 crore	Rs. 30 lakh	Rs. 75 lakh

ग्रामीण सहकारी बैंकों द्वारा वैयक्तिक आवासीय ऋणों का वित्तपोषण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों द्वारा अभिशासित होता है और किसी राज्य/मध्यवर्ती सहकारी बैंक द्वारा किसी वैयक्तिक उधारकर्ता को दिए जाने वाले आवास ऋण की अधिकतम प्रमात्रा भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त परिपत्र में निर्धारित सीमा के अनुसार अभिशासित होगी.

Financing of individual residential housing loans by Rural Co-operative Banks is governed by Reserve Bank of India guidelines and the maximum quantum of housing loan that can be granted to an individual borrower by a State / Central Cooperative Bank will be governed by the limit prescribed in the above circular of RBI.

उधारकर्ता/क्षेत्र जिनके लिए जोखिम की सीमाएँ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित की गई हैं, वे दिनांक 12 मई 2008 के परिपत्र संख्या 68/डॉस-10/2008 के माध्यम से नाबार्ड द्वारा निर्धारित सीएमए जोखिम की सीमाओं के दायरे से बाहर होंगे.

Borrowers/Sectors for whom exposure limits are prescribed by RBI will be outside the purview of CMA exposure limit laid down by NABARD vide circular No. 68/DOS-10/2008 dated 12 May 2008.

तथापि, 'वैयक्तिक' श्रेणी के अंतर्गत दिए गए अन्य सभी प्रकार के ऋणों के लिए, दिनांक 12 मई 2008 के हमारे परिपत्र संख्या 68/डॉस-10/2008 में निहित निर्देश अपरिवर्तित रहेंगे.

However, for all other types of loans extended under 'individual' category, instructions contained in our circular No. 68/DOS-10/2008 dated 12 May 2008 shall remain unchanged.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

पर्यवेक्षण विभाग

प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 6812 0039 • फ़ैक्स: +91 22 2653 0103 • ई मेल: dos@nabard.org



कृपया पावती दें.

Please acknowledge receipt.

Yours faithfully

(K S Raghupathi)

Chief General Manager

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

पर्यवेक्षण विभाग

प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 6812 0039 • फ़ैक्स: +91 22 2653 0103 • ई मेल: dos@nabard.org

गाँव बढ़े >> तो देश बढ़े

www.nabard.org

Taking Rural India >> Forward